

## प्रेसनोट दिनांक 30.08.2023

1. दिनांक 29.08.23 को वादी उ०नि० श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना को०अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गिरधारी यादव पुत्र रामगोपाल नि० मिर्जापुर माफी थाना को०अयोध्या अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 21 अदद देशी पाउच मे कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 486/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 29.08.23 को वादी उ०नि० श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिवकुमार पुत्र मोतीलाल निषाद नि० मनऊपुर थाना हैदरगंज अयोध्या।गिर० अभि० द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली लड़कियों-महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 165/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 29.08.23 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रमजान पुत्र शमीम नि० रायपट्टी थाना खण्डासा अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 173/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 29.08.23 को वादी उ०नि० श्री प्रमोद कुमार थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामसजीवन पुत्र फूलचन्द्र नि० सराय मुगल थाना को०रुदौली अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 421/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।